मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर-दिसम्बर, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 19 नवम्बर, 1999 (कार्तिक 28, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का दिनांक 31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लेखाओं का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(2) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, ऊर्जा मंत्री-

(क) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उपधारा (5) - (क) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल, जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 1997-98,

(ख) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99, तथा

(ग) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 1999-2000, पटल पर रखेंगे.

(3) श्री लिखीराम कावरे, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3)-(1) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-9-97-आठ, दिनांक 2 जनवरी, 1999 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का 28 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री रमाकांत तिवारी, केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, रीवा जिले में उद्वहन सिंचाई योजनाओं से कृषकों को सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री नित्य निरंजन खम्परिया, सदस्य, सिहोरा क्षेत्र के फनवानी, कुम्ही सिंहली मार्ग के डामरीकरण में भ्रष्टाचार होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, रामपाल सिंह, नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य, रायपुर जिले की भाटापारा कृषि उपज मंडी द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों में अनियमितता होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री देवव्रत सिंह, सदस्य, राजनांदगांव जिले के मड़ियान जलाशय के अंतर्गत कृषकों से वसूल सिंचाई कर को कोषालय में जमा न किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, राज्य शासन द्वारा बीज व कीटनाशकों पर कर लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, रायपुर संभाग सहित प्रदेश के राज्य परिवहन निगम में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन न मिलने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, कमल पटेल, सदस्य, मंदसौर उप जेल में क्षमता से अधिक कैदी बंद होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, रायसेन जिले में स्थित सम्राट अशोक सागर जलाशय से कृषकों को सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री बृजराज सिंह चौहान, सदस्य, श्योपुर के ढोटी सब डिवीजन में सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री देवव्रत सिंह, सदस्य, राजनांदगांव जिले के अंतर्गत लक्ष्मणपुर टारबांध क्षतिग्रस्त होने की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेन्द्र भारती (दतिया), नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य, दुर्ग जिले के ग्राम महडोर एवं ढौर में जहरीली शराब पीने से अनेक लोगों की मौत होने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, सदस्य, पन्ना जिले में नहरों का रखरखाव न होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(13) श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य, राजनांदगांव प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के कारण कैंसर पीड़ित शिक्षक को राशि का आहरण न हो पाने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) सर्वश्री मोहम्मद अकबर, गणेशशंकर बाजपेयी, धर्मजीत सिंह, सदस्य, रायपुर कैंसर अस्पताल की सिकाई मशीन खराब होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, रायपुर स्थित चिकित्सालय से दो कैदी फरार होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, प्रदेश की अनेक शासकीय दुग्ध योजनाएं ठप्प होने की ओर डेयरी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में आंत्रशोथ एवं मलेरिया का प्रकोप होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) सर्वश्री रामपाल सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, आमला क्षेत्र के विधायक के साथ अभद्र व्यवहार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट शहर में दवा विक्रेताओं द्वारा दवाईयों की अवैध बिक्री किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले में निजी भूमि पर ईंट-भट्टा हेतु अनुमति न दिये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री मुंशीलाल, सदस्य, मुरैना जिले में कृषकों को मिलावटी खाद, बीज व कीटनाशक दवा का प्रदाय होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) सर्वश्री मुंशीलाल, बृजमोहन अग्रवाल, बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, कोरबा उप जेल से अनेक कैदी फरार होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) सर्वश्री चौधरी राकेश सिंह, मुंशीलाल, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, मुरैना जिले के बानमोर में स्थापित उद्योगों द्वारा विद्युत चोरी किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री हरवंश सिंह, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सोलहवां से सैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) हाजी गुलाम सिप्तैन, सदस्य, कटनी जिले के-
(क) ग्राम सिमरा के भटिया मुहल्ले में बिजली लगाये जाने, तथा
(ख) ग्राम बनहरा के आवास मुहल्ले में बिजली लगाये जाने,
(2) श्री मगन लाल गोइल, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम बुड़ेरा में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने, तथा
(3) श्री मुंशीलाल, सदस्य, भोपाल नगर के माता मंदिर स्थित "एच" टाईप शासकीय आवासों के तीसरी मंजिल पर स्थित रहवासियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने,
के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

6. संकल्प

श्री रविन्द्र चौबे, सामान्य प्रशासन मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

3 घन्टे "इस सदन का यह मत है कि पिछड़े वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण हेतु संविधान में आवश्यक प्रावधान करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाय."

7. अशासकीय विधि विषयक कार्य

5 मि. श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, मध्यप्रदेश धर्म-स्वातन्त्र्य (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 8 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

8. अशासकीय संकल्प

(1) श्री प्रभाकर सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

40 मि. "सदन का यह मत है कि विगत 20 वर्षों से अधिक समय से भू-स्वामियों की जो जमीन शासकीय अभिलेखों में रास्तों के लिए वाजिब-उल अर्ज के अंतर्गत दर्ज है उसका शासन अधिग्रहण कर निस्तार पत्रक में घोषित करे ताकि उन मार्गों का सुधार व निर्माण किया जा सके."

(2) श्री सोनेराम कुशवाह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

35 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश में टी.बी. बीमारी से बचाव हेतु प्रत्येक स्वास्थ्य एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र पर जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराई जायें".

(3) श्री हरीशंकर जायसवाल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

40 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश के समस्त वनों, उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के तेंदूपत्ता तोड़ने वाले आदिवासियों को बोनस देने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे."

(4) कुंवर अशोक वीर विक्रम सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश की सभी प्राथमिक शालाओं में यातायात के नियम सिखाना अनिवार्य किया जाय."

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 18 नवम्बर, 1999